प्रेषकः—   महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
____

कमांक 4164-88 /टी0आई0 – 5
दिनांक 05-09-2013

विषयः **Incident of eve-teasing and slapping with a girl student.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में Consultant, Member Secretary, Haryana State Commission for Women के कार्यालय के पृ0 पत्र कमांक 161 दिनांक 24.04.2013 द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि दिनांक 20.04.2013 को 'अमर उजाला' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार **'चलती बस में छेडछाड, छात्रा को जडे थप्पड'** शीर्षक में राज्य परिवहन की बस सेवा में सवार गांव बरेली जिला पंचकूला की एक छात्रा को एक युवक द्वारा शारीरिक छेडछाड करने के विरोध पर युवक ने उसे थप्पड जड दिए। बस में हंगामा बढता देख बस चालक ने बस को माजरी चौक पर रोक दिया तथा युवक मौका पाकर फरार हो गया, परन्तु युवक को सबक सिखाने के लिए छात्रा ने सैक्टर–5, पंचकूला के पुलिस स्टैशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार करके विभिन्न सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

यह बहुत शर्म व खेद की बाद है कि हरियाणा राज्य परिवहन की प्रतिष्ठित सेवा में ऐसी घिनौनी घटना घटी है। भविष्य में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कडे उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य परिवहन के सभी महाप्रबन्धकों/उडनदस्ता अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी Jurisdiction में उनके अर्न्तगत कार्यरत सभी चालकों/परिचालकों को उचित निर्देश जारी करें कि उनके कार्य निर्वाह के दौरान यदि किसी महिला यात्री के साथ बस में किसी भी तरह की कोई छेडछाड का मामला उनके ध्यान में आता है तो उस महिला यात्री के साथ पूर्ण सहानुभूति दिखाते उसकी हर सम्भव सहायता करेंगे ताकि उसके मनोबल को कोई ठेस न पहुंचे और बस में उसका पूरा सम्मान हो, और यदि आवश्यक हो मामला नजदीकी पुलिस स्टेशन के संज्ञान में भी ला दिया जाए।

कृते महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ

पृ0 कमांक /टी0आई0 दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति Consultant, Member Secretary, Haryana State Commission for Women को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 161 दिनांक 26.04.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

कृते महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ